

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेडवा जिला बाडमेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 309/2024

अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1. दानसिंह पुत्र पूनमा 2. पवन पत्नी भंवरा 3. मूला पुत्र पूनमा 4. राजा पुत्र पूनमा 5. लछा पुत्र पूनमा 6. काला पुत्र पूनमा फौत के कायम मुकाम (1) ईश्वरसिंह पुत्र काला (2) गणपतसिंह पुत्र काला (3) एवन कंवर पत्नी काला जातियान राजपुत 7. वालाराम पुत्र राणाराम जाति रबारी, निवासीगण बाखासर, तहसील सेडवा, जिला बाडमेर।		1. महादेवा पुत्र छतरा 2. आम्बाराम पुत्र हेमराज 3. कुंवारा राम पुत्र हेमराज 4. खुमाराम पुत्र हेमराज 5. जबलदेवी पत्नी रघराम 6. रादो पत्नी कुम्भा 7. वालीदेवी पत्नी हेमराज 8. सोमाराम पुत्र हेमराज जातियान रबारी, निवासीगण रंगवाली, तहसील सेडवा, जिला बाडमेर। 9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेडवा जिला बाडमेर।

उपस्थित : प्रार्थी वकील — श्री बाबुलाल विश्नोई


विप्रार्थी संख्या 01 से 08 के वकील— श्रीराम विश्नोई

—: निर्णय :—

दिनांक:— 13/03/2024

प्रार्थीगण दानसिंह पुत्र पूनमा जाति रबारी, निवासी बाखासर, तहसील सेडवा जिला बाडमेर वगैरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि "प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा बाखासर पटवार हल्का बाखासर, के खसरा नं. 1021/399 रकबा 10.5461 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1023/399 रकबा 4.8562 व खसरा नम्बर 1022/399 रकबा 12.9499 हैक्टेयर के आये हुए हैं, जिसका मूल खसरा नम्बर 399 था, उक्त मूल खसरे का विभाजन होकर अलग तरमीम की गई है। नकल जमाबन्दी व नक्शा संलग्न है। मूल खसरा नम्बर 399 में से खातेदार पुनमा व अमरा ने जरिये रजिस्ट्री बेचान विप्रार्थी संख्या 01 को व 2 से 08 तक के पूर्व पुरुष कुंभा को बेचान के आधार पर उक्त खसरे की तरमीम की जानी थी लेकिन रजिस्ट्रार अफसरों ने बेचान के आधार पर खसरा कायम न करके अपनी मर्जी से



  
उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) सेडवा

नवीन खसरा संख्या 1023/399 खसरा नम्बर 1021/399 व खसरा नम्बर 1022/399 सृजित किये गये हैं जिसका बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के नामान्तरण के वक्त रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर नक्शा कायम नही करके पटवारी ने गलत नक्शा बनाकर अलग से तरमीम कर दी, जो मौके पर कब्जेकाशत ढाणी से भिन्न पटवारी हल्का, भू-निरीक्षक द्वारा नक्शे में गलत तरमीम कर दी, प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काशत रजिस्टर्ड बेचाननामे के अनुसार है, लेकिन हल्का पटवारी व आर.आई द्वारा की गई तरमीम रजिस्टर्ड बेचाननामे व मौके पर कब्जा काशत अनुसार की जानी आवश्यक है इस कारण से प्रार्थीगण द्वारा रजिस्टर्ड बेचाननामे व कब्जा काशत अनुसार तरमीम का प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है। तरमीम के वक्त रजिस्टर्ड बेचान नामे से व मौके पर कब्जे काशत, ढाणी, बेरे से भिन्न तरमीम की गई है जो एक लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आता है। उक्त लिपिकीय भूल को दुरुस्त करवाने को प्रार्थीगण कानूनी रूप से हकदार होने से यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण के राजस्व रेकर्ड में तरमीम गलत अंकन होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को अपने खेत को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए कृषि ऋण लेने के लिए तथा अपने खेत की नेखमबंदी करवाने के लिए कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे प्रार्थीगण बेचान नामे व मौके पर कब्जे-काशत, ढाणी, मांठ अनुसार रेकर्ड दुरुस्ती करवाने के विधि सम्मत अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बाखासर पटवार हल्का बाखासर के खसरा संख्या 1021/399 रकबा 10-5461 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1023/399 रकबा 4-8562 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1022/399 रकबा 12-9499 हैक्टेयर का बेचाननामे व मौके पर स्थित कब्जा, ढाणी, मांठ अनुसार तरमीम की जाकर नक्शा दुरुस्त करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किए। विप्रार्थी संख्या 01 से 08 की ओर से अधिवक्ता श्री श्री श्रीराम विश्‍नोई ने वकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक कार्ट/2025/979 दिनांक 22.05.2025 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए उलिया गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांक: भू.अ./2025/609 दिनांक



(2)

उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) सेड़वा

10.07.2025 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन "मौके पर वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड लट्ठा, नक्शा व भू-नक्शा एवं मौके पर प्रार्थी, विप्रार्थीगण के काश्त कब्जा, ढाणियां, कुएं, टांके व अन्य कच्चे-पक्के निर्माण का अवलोकन किया। राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम बाखासर के मूल खसरा नंबर 399 रकबा 175-11 बीघा भूमि में से प्रार्थीगणों के पूर्वजों द्वारा बेचान करने से मूल खसरा नंबर 399 विभाजित होकर नए खसरा नंबर 1022/399 रकबा 12-9499 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1023/399 रकबा 4-8562 हैक्टेयर भूमि क्रेताओं(विप्रार्थीगणों) के नाम दर्ज हुई तथा खसरा नंबर 1021/399 रकबा 10-6108 हैक्टेयर मूल खातेदारों प्रार्थीगणों के पूर्वजों के नाम दर्ज हुई। लेकिन लट्ठा नक्शा में उक्त खसरों की तरमीम करते समय लिपिकीय त्रुटिवश बेचान दस्तावेजों के अनुसार नहीं की गई है, जो प्रार्थीगणों व विप्रार्थीगणों के काश्त-कब्जा, ढाणियां, कुएं, टांके इत्यादि के अनुसार नहीं है। खसरा नंबर 1021/399 में से भूमि प्रार्थीगणों द्वारा समर्पण करने से नया खसरा नंबर 1172/399 बना है। अतः प्रार्थीगणों व विप्रार्थीगणों के काश्त कब्जा, ढाणियां, कुएं, टांके व अन्य कच्चे-पक्के निर्माण को ध्यान में रखते हुए तरमीम दुरुस्ती हेतु प्रस्तावित तरमीम नक्शा परिशिष्ट "ब" तैयार किया जो मौके पर प्रार्थीगणों व प्रार्थीगणों के काश्त कब्जा, ढाणियां, टांके, कुएं व अन्य कच्चे-पक्के निर्माण के अनुसार व बेचान दस्तावेजों के मुताबिक है। उक्त प्रस्तावित तरमीम नक्शा परिशिष्ट 'ब' के अनुसार ग्राम बाखासर के खसरा संख्या 1021/399, 1172/399, 1022/399 की तरमीम दुरुस्ती किए जाने पर सभी प्रार्थीगण व विप्रार्थीगणों ने सहमति प्रदान की है। प्रस्तावित तरमीम दुरुस्ती हेतु परिशिष्ट 'ब' संलग्न है। उक्त मौका फर्द उपस्थित प्रार्थीगण व विप्रार्थीगणों व मौतबरानों को पढकर सुनाई गई। सभी ने पढकर, सुन समझकर अपने-अपने हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किए।"

उभयपक्षकारान् अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर उभयपक्षकारान् अधिवक्ता ने बहस की। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता ने बहस में तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया है। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम



(3)  
उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) सेड़वा

राजस्व आवेदन संख्या 309/2024

उनवान दानसिंह वगैरा बनाम महादेवा वगैरा

दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 309/2024 उनवान दानसिंह वगैरा बनाम महादेवा वगैरा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन अनुसार तहसील सेड़वा के पटवार मण्डल बाखासर के खसरा संख्या 1021/399 रकबा 10-5461 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1023/399 रकबा 4-8562 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1022/399 रकबा 12-9499 हैक्टेयर की तरमीम तहसीलदार सेड़वा द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों तथा तहसीलदार सेड़वा के तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन पर युक्तियुक्त विचारण के उपरांत जांच प्रतिवेदन में दर्शित परिशिष्ट 'ब' अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांक: भूअ./2025/609 दिनांक 10.07.2025 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 05.07.2025, परिशिष्ट 'ब', खसरा नक्शा व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ...13/03/2024...को खुले इजलास में सुनाया गया।



(1)

(बदीन सायम (आन एस.))  
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा  
(SDO) सेड़वा








रफ

आर्य समाज  
श्री गुरु नानक देव  
आर्य समाज  
आर्य समाज

आर्य समाज  
श्री गुरु नानक देव  
आर्य समाज  
आर्य समाज



श्री गुरु नानक देव

आर्य समाज  
(SDO) सेवा

आर्य समाज (पु.म.) सेवा

श्री गुरु नानक देव  
05/07/2025  
DR-आर्य समाज

श्री गुरु नानक देव  
05/07/2025  
आर्य समाज (पु.म.) सेवा  
आर्य समाज सेवा (आर्य समाज)